

जारीख
हुकमनम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए19/6/18

वक्तू ल० करीके उवाहर) प्राचीन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की राकांर
पर करत विज्ञान अभिजातक जण उअधपक्षक शुनी
शई। वकील वादी के तर्क रहे कि उसके हिस्से
की आराजी के प्रतिवादी सरण्या। ख० ६ दी गवरपक्षि
के बेचने पर आमादा है। प्रतिवादीके के वकील के
तर्क रहे कि कोई हस्तोतरण नही किया जा रहा है।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि
प्रथम दृष्ट्या अधुलिय का संस्करण प्राचीन के
पक्ष में उचित होता है। बाद पत्र मेरि पर तय
किया जाना है। ऊतः विवादि आराजी के बेचान
हस्तोतरण आदि नही करे हेर अधुलिय के
राफेसल बाद तब अस्थाई निषेधाज्ञा के पाकड
किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर
से कर ही बाद कफर दारिब हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

